10

उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग पर दिनांक 18-2-82 को 10-30 बजे पूर्वाह्न में हुई उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1982 की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

(1)	श्री बी०जे०कौदायजी		अध्यक्ष
(2)	प्रो०दिनेश मोहन	निदेशक, सी०बी०आर०आई०, रुड़की।	सदस्य
(3)	श्री आदित्य कुमार रस्तोगी	सचिव, आवास विभाग	सदस्य
(4)	श्री ओम प्रकाश विश्नोई	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	सदस्य
(5)	श्री जे०पी०दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(6)	श्री एस०डी०वर्मा	उप सचिव, वित्त विभाग (सचिव, वित्त के प्रतिनिधि)	सदस्य
(7)	श्री आर०एस०माथुर	आवास आयुक्त	सदस्य

बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

क्र०सं०	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1-दिनांक 10-12-81 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।		1/(1)/82	परिषद् की दिनांक 10-12-1981 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
2-परिषद की बैठक दिनांक 10-12-81 की अनुपालन आख्या।		1/(2)/82	परिषद द्वारा दिनांक 10-12-1981 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आख्या का अवलोकन किया गया और निम्नलिखित निर्देश दिये गये:- 1- वाहनों के क्रय करने के सम्बन्ध में शासनादेश शीघ्र भिजवाने का आश्वासन आवास सचिव महोदय द्वारा दिया गया। 2- सहायक निदेशक (प्रचार) के रिक्त पद को भरने की कार्यवाही विलम्बतम मार्च-1982 तक करने का निर्णय लियागया। 3- भूमि अध्याप्ति से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में राजस्व परिषद के अध्यक्ष/सदस्य (भूमि अर्जन) की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक को शीघ्र सम्पन्न कराने का निर्णय लियागया। सचिव, आवास एवं नगर विकास से यह अनुरोध किया गया कि वह कानपुर के लिये स्वीकृत विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पद पर शीघ्र तैनाती कराने की कृपा करें।

उ०प्र०उ०

1	2	3	4
			4- मुरादाबाद व अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों द्वारा परिषद के आवास गृहों पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण के सम्बन्ध में शीघ्र ही प्रभावी कार्यवाही करने का विशेष अनुरोध सचिव, आवास एवं नगर विकास से किया गया।
			5- इन्दिरा नगर के 80 मध्यम आय वर्ग एम0 ए0-75 प्रकार के भवनों के प्राविधिक परीक्षण के सम्बन्ध में शीघ्र ही उपयुक्त निर्णय कराने का आश्वासन सचिव, आवास एवं नगर विकास द्वारा दिया गया।
			6- परिषद की सभी निर्मित कालोनीज़ को स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने के संबंध में सचिव, नगर विकास ने आश्वासन दिया कि वह नगर महापालिकाओं और नगर पालिकाओं के प्रशासकों इत्यादि की बैठक शीघ्र ही करके इस समस्या का समुचित निराकरण करायेंगे।
			7- परिषद लेखों का समायोजन तथा मिलाने और लेखा मैनुअल के तैयार करने में जो अप्रत्याशित विलम्ब हुआ को देखते हुये यह निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त महोदय एक बार तुली एण्ड कम्पनी के प्रतिनिधियों को बुला कर वार्ता करलें और यदि वह इस कार्य को अनुबन्धानुसार निपटाने की स्थिति में न हों तो परिषद के अधिकारियों/ कर्मचारियों के माध्यम से इस कार्य को सम्पादित कराने की व्यवस्था की जाय।
			8- आगरा की कमला नगर आवास योजना में ग्राम लश्करपुर में भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियन्ता ने जो संशोधित ले-आउट नक्शा तैयार किया है उसे शीघ्र ही आवास सचिव महोदय को भेज दिया जाय ताकि इस मामले में शासन स्तर से परिषद का हित भी ध्यान में रख कर निर्णय लिया जा सके।
			9- जल निगम से भीमताल में जल सम्पूर्ति की व्यवस्था के संदर्भ में आवास आयुक्त महोदय जल निगम संस्थान के अध्यक्षों से शीघ्र ही वार्ता करें और इस समस्या का निराकरण करायें।
			10- रिवाल्विंग फण्ड के सम्बन्ध में अग्रेतर बैठक शीघ्र ही वित्त सचिव महोदय के स्तर पर कराकर निर्णय ले लिया जाय और लिये गये निर्णयों से परिषद को अवगत कराया जाय।
			11- परिषद अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में शासन से शीघ्र ही विधिक संशोधनों को कराने के लिये पुनः आग्रह किया जाय।
			12- रानीखेत के लिये उपयुक्त स्थल, चयन समिति के प्रस्तावानुसार अधीक्षण अभियन्ता

क्र0प0उ0

1	2	3	4
			प्रथम वृत्त से शीघ्र ही मंगाकर परिषद के समक्ष रखा जाय। 13- दिलकुशा में स्थित केन्टोनमेन्ट बोर्ड की भूमि प्राप्त करने का विशेष प्रयास किया जाय। इस संदर्भ में जैसा पूर्व में निर्णय लिया जा चुका है, माननीय आवास मंत्री जी के स्तर से कार्यवाही भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री जी के स्तर पर कराई जाय। 14- पिथौरागढ़ तथा मंसूरी में भूमि चयन की कार्यवाही शीघ्र ही सम्पन्न कर परिषद के समक्ष प्रस्तावों को रखा जाय। 15- गोपेश्वर में स्थल चयन की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न कराकर परिषद के समक्ष प्रस्ताव रखा जाय। 16- ''क्वालिटी कन्ट्रोल'' के लिये प्रस्तावित सिस्टम की विस्तृत रूप-रेखा परिषद की बैठक में रखी जाय। 17- निर्माण कार्य हेतु सीमेन्ट की अगले वर्ष की आवश्यकता को प्रत्येक त्रैमास के आधार पर आंकलित की जाय और शासन को परिषद की मांग की स्थिति की जानकारी कराई जाय जिससे अगले वर्ष में यथा संभव सीमेन्ट के कोटा की आपूर्ति ठीक-ठीक की जा सके। 18- शाहजहांपुर, हरिव्दार, काशीपुर और बरेली में परिषद की और योजनायें चलाने के लिये भूमि का चयन शीघ्रता से कराया जाय और इस पर परिषद ने बल दिया। प्रस्तावों को अगली बैठक में रखा जाय। 19- कारपोरेट प्लान पर विचार हेतु अध्यक्ष आवास परिषद के अधीन गठित समिति की रिपोर्ट अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत की जाय। 20- आपसी वार्ता व्दारा भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में परिषद के पूर्व निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु जिला मजिस्ट्रेट का सहयोग देने के लिये शासन राजस्व विभाग को संदर्भ भेजा जाय और उनसे अनुरोध किया जाय कि जिला मजिस्ट्रेटों को अपने स्तर से इस संदर्भ से निर्देश भिजवाये ताकि आवश्यकतानुसार उनकी अध्यक्षता में शीघ्र कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सके।
3- काशीपुर योजना, काशीपुर में सोलह दुकानों का निर्माण।		1/(3)/82	काशीपुर योजना, काशीपुर में 16 दुकानों के निर्माण के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद व्दारा सर्वसम्मति से विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

क0प0उ0

1	2	3	4
4-	चन्द्रशेखर आज़ाद नगर, योजना उन्नाव में अवशेष भूमि पर प्रस्तावित 100 मध्यम आय वर्ग तथा 31 अल्प आय वर्ग भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।	1/(4)/82	चन्द्रशेखर आज़ाद नगर योजना, उन्नाव में अवशेष भूमि पर 100 मध्यम आय वर्ग तथा 31 अल्प आय वर्ग के भवनों के निर्माण की स्वीकृति परिषद व्दारा सर्वसम्मति से विचार विमर्श के उपरान्त प्रदान की गयी।
5-	आगरा की षटवासन आवासीय योजना में मेसर्स ठक्कुर कुन्दन सि-ह व्दारा निर्मित किये गये भवनों में विवाचक की नियुक्ति।	1/(5)/82	परिषद व्दारा विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी।
6-	वर्ष-80-81 में शासन ऋण से प्राप्त दुर्बल आय वर्ग के 2700 भवनों का निर्माण।	1/(6)/82	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
7-	हडको व्दारा वित्त पोषित कम्पोज़िट हाउसिंग स्कीम नन्दनपुरा, झांसी (स्कीम नं0 1902सी0)	1/(7)/82	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये निर्णय लिया कि इस बात का अध्ययन किया जाय कि इस योजना में प्रशासनिक व्यय में कटौती की जा सकती है अथवा नहीं। इस संदर्भ में अन्य आवास विकास परिषदों व्दारा किये जा रहे प्रशासनिक व्यय की स्थिति भी पूर्ण रूप से देख ली जाय और अलग से परिषद के लिये टिप्पणी प्रस्तुत की जाय।
8-	श्री राम किशन मिशन सेवा आश्रम को शेखपुरा योजना में प्रदिष्ट-8 दुर्बल आय वर्ग भवनों की भुगतान पद्धति को परिवर्तित किया जाना।	1/(8)/82	इस प्रस्ताव को परिषद व्दारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
9-	हल्दवानी योजना सं0-2, हल्दवानी में आइसवें शासन ऋण के अन्तर्गत 181 दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्वीकृति के निरस्तीकरण के संबंध में।	1/(9)/82	परिषद व्दारा विचार-विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
10-	''देवबन्द भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (योजना सं0-1)देवबन्द	1/(10)/82	परिषद व्दारा विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में यह निर्णय भी लिया गया कि जो कारपोरेट प्लान बन रहा है उसमें इस संदर्भ में ''गाइड लाइन्स'' भी बनायी जाय जिसके आधार पर यह निर्णय लिया जा सके कि किन-किन नगरों और उप नगरों में परिषद की योजनायें आरम्भ की जायें और उसका क्या प्राथमिकता क्रम रखा जाय।
11-	परिषद की भवन निर्माण विनियमावली।	1/(11)/82	परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों की एक उप समिति गठित कर ली जाय। 1- प्रो0दिनेश मोहन, निदेशक, सी0बी0आर0आई0, रुड़की। 2- श्री जे0पी0दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम-नियोजक। उक्त उप समिति परिषद के भवन निर्माण

कृ0प0उ0

1	2	3	4
			विनियमावली पर विचार विमर्श के उपरान्त अपनी संस्तुति परिषद को भविष्य में होने वाली बैठक में प्रस्तुत करेगी।
12-	भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालयों में लम्बित व दायर होने वाले संदर्भों की उचित पैरवी के संबंध में।	1/(12)/82	परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि संदर्भों की पैरवी के लिये परिषद द्वारा पृथक से वकील रखने का अधिकार आवास आयुक्त महोदय स्वयं आवश्यकतानुसार अपने विवेक से किया करेंगे।
13-	गाजियाबाद में आवास एवं विकास परिषद द्वारा आवासीय योजना चलाये जाने के संबंध में टिप्पणी।	1/(13)/82	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से गाजियाबाद क्षेत्र में आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकास एवं गृहस्थान योजनाएं चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही prescribed Authority तथा Controling की अधिसूचनाएं जारी करने के हेतु शासन से अनुरोध किया जाय।
14-	परिषद के अधीनस्थ कार्यालयों में कार चालकों को रु0 60/= हैवी ड्यूटी एलाउन्स दिये जाने के संबंध में।	1/(14)/82	यह प्रस्ताव परिषद के समक्ष आया परन्तु विचार विमर्श के पश्चात् वापस किया गया।
15-	बाराबंकी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, बाराबंकी।	1/(15)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से नियोजन समिति की संस्तुतियाँ स्वीकार की गयीं। यह निर्णय भी लिया गया कि इसकी जाँच की जाय कि अनुपयुक्त तथा [illegible] भूमि का चयन आवासीय योजना के चलाने के लिये किस किस ने किया था। इस सम्बन्ध में आख्या परिषद की होने वाली भविष्य की बैठक में रखी जाय ताकि उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाय के बारे में विचार कर उपयुक्त निर्णय लिया जा सके
16-	परिषद कर्मचारियों को सम्पत्ति के मूल्य में 10 प्रतिशत की छूट एवं पंजीकरण की केवल 10 प्रतिशत धनराशि लिये जाने का प्राविधान।	1/(16)/82	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि परिषद के कर्मचारियों को देय ऐसी सुविधाओं को आगे बनाये रखने हेतु पुनर्विचार करने के लिये शासन को स्वतः पूर्ण संदर्भ भेजा जाय।
17-	भूखण्ड पर भवन निर्माण की अनिवार्य अवधि संबंधी विनियम-22 में संशोधन के संबंध में।	1/(17)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। यह निर्णय भी लिया गया कि विनियमों में औपचारिक संशोधन तदनुसार किया जाय।
18-	विभिन्न संस्थाओं तथा शासन के विभागों को परिषद द्वारा प्रदिष्ट सम्पत्ति का अनुमोदन प्राप्त करना।	1/(18)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

1	2	3	4
19-	निजी सचिव के पदों का सृजन।	I/(19)/82	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि निजी सचिवों के दो पद इस शर्त के साथ सृजित कर दिये जाये कि इस निर्णय के कार्यान्वयन के पश्चात् 2 आशुलिपिकों के पद समर्पित किये जाय।
20-	शामली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-I शामली मुजफ्फरनगर (क्षेत्रफल-29 एकड़ अनुमानित लागत रू0 50.591 लाख)।	I/(20)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस योजना का परित्याग कर कोई नया उपयुक्त स्थल योजना चलाने हेतु चयनित किया जाय। यह योजना अनुपयुक्त तथा अयोग्य स्थान पर प्रस्तावित की गई और भूमि का चयन गलत ढंग से किया गया। इस सम्बन्ध में आज्ञा परिषद की होने वाली भविष्य की बैठक में रखी जाय ताकि उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाय के बारे में विचार कर उपयुक्त निर्णय लिया जा सके।
21-	दुर्गा निवास टेनिस कोर्ट भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3, नैनीताल (क्षेत्रफल 0.186 एकड़ अनुमानित लागत 0.772 लाख)	I/(21)/82	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से नियोजन समिति की संस्तुतियां स्वीकार की गयी।
22-	हट्टन हाल भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-I नैनीताल (क्षेत्रफल 2.49 एकड़ अनुमानित लागत 7.430 लाख)	I/(22)/82	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से नियोजन समिति की संस्तुतियां स्वीकार की गयी।
23-	मेट्रोपोल होटल भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-10, नैनीताल (क्षेत्रफल 1.54 एकड़ अनुमानित लागत 6.88 लाख)	I/(23)/82	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से नियोजन समिति की संस्तुतियां स्वीकार की गयी।
24-	प्रायरी लाज टेनिस कोर्ट भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4, नैनीताल (क्षेत्रफल 0.41 एकड़ अनुमानित लागत 1.724 लाख)	I/(24)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से नियोजन समिति की संस्तुतियां स्वीकार की गयी।
25-	हापुड़-गाजियाबाद मार्ग पर आवास योजना सं0-I, पिलखुआ जिला-गाजियाबाद।	I/(25)/82	परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद की अध्यक्षता में एक उप समिति गठित कर दी जाय जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:- 1- सचिव, आवास एवं नगर विकास 2- आवास आयुक्त 3- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 उक्त समिति इस प्रस्ताव का परीक्षण करके अपनी संस्तुति परिषद को भविष्य में होने वाली बैठक में प्रस्तुत करेगी।
26-	मोदीनगर में मेरठ-दिल्ली मार्ग पर आवासीय योजना संख्या-I	I/(26)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से नियोजन समिति की संस्तुतियां स्वीकार की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि हापुड़ रोड़ पर भूमि अधिग्रहण की संभावना देखी जाय और स्थल का चयन कर अग्रेतर —

1	2	3	4
			कार्यवाही की जाय और परिषद की भविष्य में होने वाली बैठक के समक्ष प्रस्ताव रखा जाय।
27-	विदेशी मुद्रा में वरीयता	1/(27)/82	परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जब तक विनियमों में संशोधन न हो जाय तब तक विधि अधिकारी महोदय के मतानुसार विनियमावली-1979 के प्राविधानों के अनुसार ही कार्यवाही की जाय। विनियमों में संशोधन की कार्यवाही एक माह के भीतर अवश्य ही पूरी कर ली जाय।
28-	निर्माण कार्य की समीक्षा (31 दिसम्बर, 1981 तक)	1/(28)/82	परिषद व्दारा भूमि अर्जन, विकास तथा निर्माण इत्यादि कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में मानीटरिंग कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 17-2-1982 पर विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से इसे मान कर और निर्णय जो लिये गये वह निम्नलिखित है:- (1) भूमि विकास एवं भवन निर्माण कार्य की प्रगति का अनुश्रमण प्रत्येक माह किया जाय और ''बार-चार्ट'' बनाकर प्रगति से परिषद को अवगत कराया जाय। (2) भूमि अर्जन के संबंध में प्रतिकर के वितरण की प्रगति का अनुश्रमण भी किया जाय और परिषद को स्थिति से अवगत कराया जाय। (3) सीमेन्ट की उपलब्धता में विशेष सुधार न होने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि दुर्बल आय वर्ग के भवनों में सीमेंट की छत के स्थान पर जैक आर्च की छत डालने पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाय।
29-	अल्प आय वर्ग तथा दुर्बल आय वर्ग के प्रथम किश्त के साथ देय धनराशि रु0 2000/= तथा 1500/= को किश्तों में करने के संबंध में।	1/(29)/82	परिषद व्दारा विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रथम किश्त के साथ ली जाने वाली धनराशि का प्राविधान अल्प आय वर्ग में जैसा वर्तमान में है, बना रहेगा। केवल दुर्बल आय वर्ग के लोगों से ली जाने वाली धनराशि में आवश्यकतानुसार किश्तें निर्धारित करने का अधिकार आवास आयुक्त महोदय को निहित रहेगा।
30-	मेरठ मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 खतौली मुजफ्फरनगर (क्षेत्रफल 30 एकड़ अनुमानित लागत 50.50 लाख)	1/(30)/82	परिषद व्दारा नियोजन समिति की संस्तुतियाँ सर्वसम्मति से स्वीकार की गयीं।

1	2	3	4
38	गौरावातिक भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 सुल्तानपुर।	1/(38)/82	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त नियोजन समिति की संस्तुतियों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। यह निर्णय भी लिया गया कि सुल्तानपुर में आवासीय योजना चलाने के लिये जिला अधिकारी, सुल्तानपुर से सम्पर्क करके स्थल का चयन किया जाय और अग्रेतर कार्यवाही की जाय।
39	मेरठ-रूड़की मार्ग एवं सरकुलर रोड के मध्य भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 मुजफ्फरनगर (क्षेत्रफल 103•07एकड़ अनुमानित लागत रू0 149•188 लाख)	1/(39)/82	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त नियोजन समिति की संस्तुतियों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
40	चीनी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखीमपुर खीरी में समाविष्ट कैथोलिक डायसिस की भूमि के संबंध में।	1/(40)/82	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आवास आयुक्त देखें कि क्या कैथोलिक डायसिस की जिस भूमि को अर्जन से मुक्त करने की प्रार्थना की गयी है वह भूमि उन्हें देकर उसके बदले में कैथोलिक डायसिस के स्वामित्व की कोई भूमि परिषद की आवासीय योजना चलाये जाने के लिये ली जा सकती है जिससे परिषद की योजना दो टुकड़ों में न बटे और फलस्वरूप परिषद पर कोई वित्तीय भार भी न बढ़े। इस पर जो स्थिति बने वे सिलसिले में आख्या परिषद की भविष्य की बैठक में रखी जाय।
41	अर्ल्स कोर्ट भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-5, नैनीताल (क्षेत्रफल 2•58 एकड़, अनुमानित लागत 11•607 लाख)	1/(41)/82	परिषद व्दारा विचार विमर्श के पश्चात् नियोजन समिति की संस्तुतियां सर्वसम्मति से स्वीकृत की गई।
42	रावली मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, मुरादनगर (जिला-गाजियाबाद)	1/(42)/82	परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात् नियोजन समिति की संस्तुतियों को सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।
43	अल्मेयर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-9, नैनीताल (क्षेत्रफल 2•09 एकड़ अनुमानित लागत 9•39 लाख)	1/(43)/82	परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात् नियोजन समिति की संस्तुतियों को सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।
44	ग्रास मेयर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-8, नैनीताल (क्षेत्रफल 2•40 एकड़ अनुमानित लागत 10•85 लाख)	1/(44)/82	परिषद व्दारा विचार विमर्श के पश्चात् नियोजन समिति की संस्तुतियों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
45	पंजीकरण के लिये विशेष प्रचार अभियान चलाने हेतु एडवरटाइजिंग एजेन्सी के माध्यम से विज्ञापन निकालने के सम्बन्ध में।	1/(45)/82	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

कृ0प0उ0

1	2	3	4
31-	बेतियाहाता भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (पश्चिमी) गोरखपुर।	I/(31)/82	परिषद व्दारा नियोजन समिति की संस्तुतियाँ सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी। यह निर्णय भी लिया गया कि उच्च आय वर्ग के भवनों के लिये सेक्टर प्लानिन्सींग योजना तैयार कर, चलाई जाय यह नोटिस में लाया गया कि बेतियाहाता में जल निकासी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और इसको कार्यान्वित करने के लिये कदम उठाये जाय।
32-	38-4। प्राग नारायन रोड योजना, लखनऊ।	I/(32)/82	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त नियोजन समिति की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह निर्णय भी लिया गया कि योजना चलाने के पूर्व यह देख लिया जाय कि जल निकास की क्या व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त शासन से प्रार्थना की जाय कि इस योजना को परिषद व्दारा चलाने के लिये धारा-59, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करे।
33-	प्राग नारायन रोड योजना लखनऊ को समाप्त किये जाने के संबंध में।	I/(33)/82	परिषद व्दारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शासन को इस आशय का संदर्भ भेजा जाय कि यदि संबंधित भूमि अर्जन सीलिंग के अन्तर्गत आ रही हो तो उसे परिषद को हस्तान्तरित कर दी जाय ताकि परिषद व्दारा इस भूमि पर अपनी आवासीय योजना चलायी जा सके। बाद में आवश्यकतानुसार धारा-59 उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अन्तर्गत अनुज्ञा देने के लिये एक संदर्भ शासन को भेज दिया जाय।
34-	विनियम 16(2)में संशोधन तथा निर्देश पुस्तिका में अवशेष सम्पत्ति हेतु वरीयता क्रम निश्चित करना।	I/(34)/82	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
35-	गोखले मार्ग गृहस्थान योजना लखनऊ को परित्याग किये जाने के संबंध में।	I/(35)/82	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
36-	मेरठ रूड़की मार्ग(जी0टी0 मार्ग) पर आवासीय योजना सं0-2 मुजफ्फरनगर(क्षेत्रफल 19.958 एकड़ अनुमानित लागत 37.885 लाख)	I/(36)/82	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से नियोजन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया।
37-	लखनऊ नगर में माननीय विधायकों के लिये सेक्टर प्लानिंग योजना के अन्तर्गत आवास गृहों का निर्माण।	I/(37)/82	परिषद व्दारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से सिद्धान्त रूप से स्वीकृति प्रदान की गयी। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि शासन व्दारा इस योजना का वित्तीय पोषण परिषद को किया जाय और परिषद को कोई सम्बन्ध विधायकों से किस्तों की वसूली का नहीं रहेगा। यह निर्णय भी लिया गया कि विधि अधिकारी की राय इस संबंध में ले ली जाय कि क्या परिषद किसी वर्ग विशेष के लिये अपने वर्तमान नियमों के अनुसार कोई आवासीय योजना चला सकती है। कृ0प0उ0

1	2	3	4
46-	विनियमावली-1979 में संशोधन गजट में विज्ञप्ति हेतु।	I/(46)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तावित संशोधन पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह निर्णय भी लिया गया कि इन्हें गजट में विज्ञापित कराने की कार्यवाही अविलम्ब की जाय।
47-	देवपुर द्वारा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ।	I/(47)/82	परिषद ने निर्णय लिया कि इस प्रस्ताव को ''ऐपरोच रोड योजना'' के साथ पुनः परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
48-	अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में।	I/(48)/82	परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विचार-विमर्श के पश्चात् इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और इस मद से बजट प्राविधान के अन्तर्गत आवास आयुक्त को व्यय करने हेतु अधिकृत किया गया। यह निर्णय भी लिया गया कि अगले वर्ष के बजट में इसके सबंध में अलग से मद खोल दिया जाय।
49-	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।	I/(49)/82	(1) परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिषद की निधि से निर्मित भवनों में 30% भवन का आवंटन नकद क्रय पद्धति के आधार पर किया जाय और अन्य श्रोतों से प्राप्त राशि से निर्मित भवनों में से 25% नकद क्रय पद्धति पर भवन आवंटित किये जाय। (2) अन्त में निर्णय लिया गया कि परिषद की अगली बैठक 29 मार्च, 1982 को परिषद के मुख्यावास 10·30 बजे पूर्वाह्न आयोजित की जाय जिसमें बजट के साथ-साथ कारपोरेट प्लान तथा अन्य अनिवार्य तथा बहुत ही महत्वपूर्ण मामले विचारार्थ प्रस्तुत किये जायें।

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुये समाप्त की गयी।

पूर्वाह्न की गई

30/3/1982

अध्यक्ष